न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 01/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
राजाराम पुत्र घेवरराम जाति जाट निवासी भावण्डा तहसील खींवसर जिला नागौर।		1 राजूदेवी पत्नी सोहनराम जाति जाट निवासी भावण्डा तहसील खींवसर जिला नागौर। 2 तहसीलदार खींवसर।

उपस्थिति :–

1. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रिद्वकरण धोलिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 12.01.2023

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार खींवसर द्वारा मौजा भावण्डा के नामान्तरकरण सं. 2830 निर्णय दिनांक 11.10.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.12.21 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.01.2022 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री रिद्वकरण धोलिया, अधिवक्ता तथा रेस्पो. संख्या 02 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 2830 की फोटोप्रति, मौजा भावण्डा की जमाबंदी संवत् 2077 की फोटोप्रति, उपखण्ड अधिकारी खींवसर के राजस्व वाद संख्या 107/20 के फर्द अहकाम की फोटोप्रति, सहायक कलक्टर (एसडीओ) में प्रस्तुत वाद की फोटोप्रति, गोदनामा दिनांक 26.06.1995 की फोटोप्रति तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ग्राम भावण्डा की जमाबंदी 2077 की फोटोप्रति, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नागौर के अनवान राजाराम बनाम घेवरराम के निर्णय दिनांक 23.09.21 की फोटोप्रति, बेचान रजिस्ट्री दिनांक 09.09.09 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील एकपक्षीय रूप से बिना अपीलांट को नोटिस दिए, बिना सुनवाई का अवसर दिए एकपक्षीय रूप से पारित किया। जिस कारण अपीलांट को समय पर नामान्तरकरण जैर अपील की जानकारी नहीं हो सकी। किन्तु अभी हाल ही में अपीलांट जमाबंदी की नकले लेने के लिये हल्का पटवारी से मिला, तब हल्का पटवारी ने बताया कि आपके खेत का म्यूटेशन राजूदेवी के नाम हो चुका है, तब अपीलांट ने नामान्तरकरण जैर अपील की नकल दिनांक 04.12.21 को प्राप्त की, तब अपीलांट को नामान्तरकरण जैर अपील की प्रथम बार जानकारी हुइ। इससे पहले अपीलांट को नामान्तरकरण जैर अपील की कोई जानकारी नहीं थी। जिसे मियाद में शुमार की जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– नामान्तरकरण आदेश जैर अपील विधि विरूद्व तथा साक्ष्य सबूतों के विपरीत मनमाने ढंग से कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

{2}(II)– अपीलांट स्व. घेवरराम का गोद पुत्र है इसलिए विधि अनुसार अपीलांट का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत निहित करता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के दत्तक पिता स्व. घेवरराम को विवादित भूमि का विक्रय हस्तांतरण करने का विधिक अधिकार नहीं था। इसी कारण अपीलांट ने उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करने हेतु सिविल न्यायालय में वाद पेश किया, इसके अलावा राजस्व वाद भी विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जहां पक्षकारान के मध्य सक्षम न्यायालय में रेग्यूलर वाद विचाराधीन हो, रेस्पो. संख्या 2 को उक्त नामान्तकरण स्वीकृत नहीं करना चाहिए था, किन्तु फिर भी रेस्पो. संख्या 2 ने अवैध व विधिविरूद्व ढंग से जो नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण जैर अपील नैसर्गिक न्याय के सामान्य सिद्वांतों के विपरीत जाकर पक्षकारान को बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई का अवसर दिए एवं बिना किसी प्रकार की जांच किए अवैध एवं विधि विरूद्व ढंग से स्वीकृत किया है जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

{2}(IV)–सिविल न्यायालय नागौर के समक्ष अपीलांट ने जो वाद पेश किया था वो वाद निरस्त होने के तुरंत पश्चात् अपील की निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पूर्व ही रेस्पो. संख्या 2 ने नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किया है। वह अवैध व विधिविरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 01 की ओर से अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अपीलांट जो संबंधित गोदनामे के बारे में कथन कर रहा है वो घेवरराम के जीवन काल में ही निरस्त हो चुका था तथा घेवरराम ने उक्त आराजी भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बेचान की गई थी और अपीलांट ने उक्त बेचान रजिस्ट्री को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02 नागौर में चुनौती दी थी जो न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.09.21 के द्वारा अपीलांट का वाद खारिज हो चुका है और वाद खारिज होने के पश्चात ही उक्त नामान्तरण भरा गया है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में मौजा भावण्डा के नामान्तरकरण सं. 2830 दिनांक 11.10.21 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है, जो विधिसम्मत होने से इसमे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर